

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 17 अक्टूबर 2012

1. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" आयोजित करने बाबत
दिशा-निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" चलाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तीन चरण होंगे। प्रथम चरण में दिनांक 15.11.2012 तक अभियान की तैयारी का कार्य किया जायेगा। द्वितीय एवं मुख्य चरण में अभियान के लिए दिनांक 21.11.2012 से 25.12.2012 तक प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा प्रत्येक वार्ड अथवा वार्डों के समूह के लिए शिविर आयोजित किये जायेंगे। तृतीय चरण में फोलोअप की कार्यवाही की जायेगी। फोलोअप के लिये तृतीय चरण दिनांक 26.12.2012 से 31.03.2013 तक रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके भूखण्डों का नियमन कर पट्टे जारी करना तथा उनसे तत्सम्बन्धी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में नगरीय निकायों को सहयोग करने हेतु अधिकतम निकायों में डेडीकेटेड सलाहकार फर्मों को नियुक्त किया जा चुका है जिनके द्वारा अभियान के दौरान सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के प्रकरणों बाबत कालोनियों का सर्वे तथा उनका ले-आउट प्लान बनाने एवं हर निर्मित भूखण्डों की पत्रावलियां तैयार करने की पूर्व तैयारी की जा रही है। अभियान के पूर्व प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियां तैयार किया जाना आवश्यक है ताकि शिविर के दौरान सिर्फ पट्टे जारी करने के कार्य को अंजाम दिया जा सके।

अभियान के दौरान प्रक्रिया को सरल बनाने एवं नियमन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु संबंधित नियमों/विनियमों/परिपत्रों एवं आदेशों में वर्णित प्रावधानों में राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा विचार कर मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 193/2012 दिनांक 04.10.2012 के द्वारा शिथिलता देते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

इस अभियान की शिविर अवधि के बाद फोलो-अप हेतु दिनांक 31.03.2013 तक की अवधि में शिविरों में लम्बित रह गए कार्यों को निस्तारित किया जायेगा। अभियान अवधि के दौरान दी जा रही रियायतें/छूट आदि उन्हीं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में देय होगी जो शिविर के दिन या अभियान अवधि (दिनांक 21.11.2012 से 25.12.2012 तक) में संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे भले ही उनका निस्तारण अभियान अवधि के पश्चात किया जावे। इन प्रकरणों का निस्तारण फोलो-अप एक्शन के तहत किया जा सकेगा। शिविर की अवधि के पश्चात उक्त रियायतों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

शिविर स्थलों का निर्धारण दिनांक 25.10.2012 तक कर लिया जावे। अभियान में नगर निकायों द्वारा केवल अपने कार्यों के लिए अपने पृथक शिविर आयोजित किये जायेंगे। जहाँ पूरे नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका तथा जविप्रा/जोविप्रा/नगर सुधार न्यास दोनों हैं वहाँ पर यथा सम्भव संयुक्त रूप से दोनों संस्थाओं के लिए एक ही शिविर होगा। राजस्थान आवासन मण्डल के स्थानीय अधिकारी भी यथासम्भव नगर निकाय के शिविर में ही उपस्थित रह कर कार्य सम्पादित करेंगे। अन्य विभागों द्वारा भी इस अभियान के दौरान संलग्न परिशिष्ट के अनुसार वर्णित कार्य सम्पादित किये जायेंगे जो उनके अपने कार्यालय में अथवा सुविधानुसार अन्य किसी स्थल पर शिविर लगाकर किये जायेंगे।

नगर निकायों द्वारा एवं अन्य विभागों द्वारा अभियान के दौरान सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नगरीय निकायों के अधिकारीगण व जन प्रतिनिधिगण द्वारा समय-समय पर कार्यशालों व विभिन्न बैठकों में दिये गये सुझावों के आधार पर व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण एवं जन सामान्य को राहत दिये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा कतिपय शिथिलताएँ भी अभियान अवधि के दौरान दी गयी हैं, जिनका विवरण आगे दिया गया है।

अभियान के दौरान नगर निकायों के द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी शिथिलताओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए/90बी से सम्बन्धित 17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं के नियमन के सम्बन्ध में

(i) नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत या उससे अधिक निर्माण वाली योजनाओं के अधिकार दिये जाने बाबत :-

वर्तमान में दिनांक 17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं में मुख्य रूप से विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण नियमन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रचलित परिपत्रों के प्रावधानानुसार 10 से 50 प्रतिशत तक निर्माण की स्थिति में 70 प्रतिशत तक विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजनाओं का नियमन सम्बन्धित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय स्तर पर किया जा सकता है। 70 प्रतिशत से अधिक तक विक्रय योग्य क्षेत्रफल वाली योजनाएँ एवं 10 प्रतिशत से कम निर्माण वाली आवासीय योजनाओं का नियमन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् किये जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों में कतिपय शिथिलता दी गयी है।

जिन योजनाओं में भूखण्डों का बेचान 17.06.99 से पूर्व विकासकर्ता अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति अथवा स्वयं खातेदार द्वारा किया जा चुका है और भूमि गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग में आ चुकी है वहाँ जनहित में आवासीय योजनाओं के भूखण्डधारियों को राहत देने के दृष्टिकोण से नियमन "जैसा है जहाँ है की स्थिति" में किया जायेगा नगरीय निकायों को ऐसी समस्त योजनाएँ जो 17.06.99 से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी है एवं जिनमें न्यूनतम 10 प्रतिशत निर्माण स्थित है तथा विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक है के नियमन का पूर्ण अधिकार दिये गये है। उक्त परिप्रेक्ष्य में परिपत्र 5(3)नविदि/3/99 दिनांक 06.09.2007 में वर्णित प्रावधान अभियान अवधि में स्थगित रहेंगे। संबंधित योजना दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आयी है अथवा नहीं इसके साक्ष्य के रूप में परिपत्र 5(3)नविदि/3/99 दिनांक 02.11.07 में उल्लेखित दस्तावेज भी मान्य होंगे।

दिनांक 17.06.99 से पूर्व में बसी कृषि भूमि पर अनाधिकृत कॉलोनीयों में निर्मित भवन को जहाँ है, जैसी स्थिति में है के आधार पर नियमित किया जायेगा। ऐसी संरचना पर भवन विनियम के प्रावधानानुसार सैटबैक छोड़े जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्मित भवनों में जो भी सैटबैक उपलब्ध है उसी के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जायेगी। जहां भूखण्ड रिक्त है या सैटबैक छोड़ा हुआ है, उसमें सैट बैक आदि की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

(ii) सड़क की चौड़ाई की बाध्यता नहीं :-

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 06.09.2007 में योजना की आन्तरिक सड़क की चौड़ाई नगरीय निकाय की श्रेणीवार 20 से 30 फुट नियत की गयी थी। दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं में जहाँ मकान बन चुके हैं वहाँ सड़क की चौड़ाई के संबंध में नियमों में शिथिलता देते हुये, शिविर अवधि में सड़क चौड़ाई की बाध्यता नहीं रखी गयी है। ऐसी योजनाओं में विद्यमान सड़क की चौड़ाई के आधार पर ले-आउट प्लान स्वीकृत कर नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(iii) पट्टे दिये जाने के सम्पूर्ण अधिकार :-

17.06.99 से पूर्व कृषि भूमि पर सभी गैर कृषि प्रयोजनार्थ विकसित योजनाओं के नियमन के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी (1) अथवा धारा 90ए (8) के अन्तर्गत खातेदार अधिकार समाप्त हो जाने पर नगर निकाय के व्याधीन (On Disposal) समझी गयी भूमि के संबंध में जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरणों में आवासीय भूखण्डों एवं गैर आवासीय भूखण्डों में क्रमशः 10,000 वर्गमीटर तथा 4,000 वर्गमीटर से अधिक और अन्य नगर निकायों में आवासीय भूखण्डों एवं गैर आवासीय भूखण्डों में क्रमशः 5,000 वर्गमीटर तथा 2,500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ली जाने के निर्देश जारी किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रयोजनार्थ 10000 वर्गमीटर से अधिक पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। अब इस व्यवस्था में शिथिलन देते हुए अभियान के दौरान राज्य

सरकार की अनुमति की बिना ही नगरीय निकाय स्तर पर किसी भी क्षेत्रफल तक के भूखण्ड का पट्टा जारी करने की शक्तियाँ नगर निकायों को प्रदान की गयी है।

(iv) धारा 90बी (1) अथवा धारा 90.ए (8) के निर्णय के पश्चात् नामान्तरण निकाय के पक्ष में खोलने बाबत :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए एवं इसके अधीन बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 7(3) एवं नियम 13(7) के अनुसार खातेदारी अधिकार समाप्त होने एवं भूमि के नगर निकाय के व्याधीन माना जाने के आदेश के साथ ही भूमि का नामान्तरण संबंधित तहसीलदार द्वारा नगर निकाय के पक्ष में 7 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। उक्त नियम में यह भी प्रावधान है कि नामान्तरण नहीं किये जाने की स्थिति में भी नियमन की कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी। उक्त 7 दिवस की अवधि को अभियान के दौरान उक्त नियमों में 3 दिवस कर दिया गया है। इसी प्रकार धारा 90बी के तहत भी जो भूमियाँ नगर निकाय में निहित हो चुकी है उनका नामान्तरण यदि अभी तक नगर निकाय के पक्ष में नहीं हुआ है तो उन्हें स्वतः ही नगर निकाय के पक्ष में दर्ज मान लिया जायेगा और नामान्तरण के अभाव में नियमन की कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी।

(v) 17.06.99 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं के मध्य स्थित राजकीय भूमि / राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनीयों के नियमन की शक्तियां :-

दिनांक 17.06.1999 के पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं के मध्य स्थित राजकीय भूमि के नियमन के संबंध में परिपत्र क्रमांक 6 (30) नविवि/3/07 दिनांक 02.11.07 द्वारा प्रति योजना/कॉलोनी विकास प्राधिकरणों को 10 बीघा भूमि तक नगर विकास न्यासों को 5 बीघा भूमि तक तथा अन्य स्थानीय निकायों को 2(दो) बीघा भूमि तक नियमन करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। अभियान की अवधि में नगर सुधार न्यास अजमेर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भीलवाड़ा को भी 10 बीघा तक भूमि नियमन करने हेतु शक्तियां प्रदान की गयी है।

सिवायचक/राजकीय भूमि के नियमन के लिए दिनांक 21.09.2012 को राज्य सरकार के आदेश से निम्नांकित दरें निर्धारित की गयी है जिनके आधार पर राजकीय भूमि का नियमन किया जायेगा:-

तालिका

क्र. सं.	नगरीय क्षेत्रों के नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें
1.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा व भिवाड़ी	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1500/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 5000/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों
2.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या

	भीलवाडा व भिवाडी को छोड़कर 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शेष नगरीय क्षेत्र	750/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों	2500/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों
3.	कम संख्या 1 व 2 के शहरों को छोड़कर 50,000 से कम जनसंख्या वाले शेष नगरीय क्षेत्र	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 300/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1000/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों

कतिपय प्रकरणों में योजनाओं के मध्य आयी नूमेरियाँ, छोटे-छोटे भूखण्ड के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे भूखण्डों का नियमन भी उपरोक्त दरों के आधार पर किया जायेगा। उक्त परिपत्र के अनुसार अभियान के दौरान कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आवेदन पत्र शिविर अवधि से पूर्व प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। उक्त वर्णित सीमा से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के नियमन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जावेगे। इसी प्रकार राजकीय भूमियों पर दिनांक 17.06.99 से पूर्व बसी कॉलोनियों के नियमन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही स्थानीय स्तर पर की जायेगी तथा स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रकरण राज्य सरकार को आवश्यक अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

(vi) 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों का नियमन प्रक्रिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन :-

परिपत्र क्रमांक 5(3)नवि/3/99 दिनांक 10.07.99 द्वारा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति के आवंटी सदस्य से या अन्य किसी व्यक्ति से इकरारनामे के आधार पर भूखण्ड क्रय किया है तो प्रत्येक हस्तान्तरण पर 10 रुपये प्रति वर्गगज की दर से राशि वसूल करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। तत्पश्चात् परिपत्र क्रमांक 5(8)नवि/3/99 दिनांक 26.05.2000 के बिन्दु सं. 10 द्वारा इकरारनामा के आधार पर क्रय की गई भूमि के संबंध में निर्देश प्रदान किया गया कि नियमन तिथि से पूर्व कितनी भी बार हस्तान्तरण हुआ हो, क्रेता के पक्ष में आखरी इकरारनामा/विक्रय पत्र तथा कब्जे के आधार पर एक बार ही हस्तान्तरण शुल्क 10/- रुपये प्रति वर्गगज लिया जाकर नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

नवीन निर्देशों के अनुसार ऐसे भूखण्ड, जिनका दिनांक 30-09-12 तक जितनी भी बार हस्तान्तरण किया गया है, उनका नियमन किये जाने के लिए नगरीय निकायों को अधिकृत किया जा चुका है।

पंजीकृत इकरारनामा तथा कब्जे के मामले में केवल प्रीमियम राशि ली जा कर नियमन किया जा सकेगा तथा अपंजीकृत इकरारनामा तथा कब्जे के मामले में 10 रु० प्रति वर्गगज की राशि के साथ प्रीमियम राशि ली जा कर अन्तिम क्रेता के पक्ष में नियमन किया जा सकेगा।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की गणना नियमन शुल्क की चार गुणा राशि के आधार पर की जावेगी।

(vii) ले-आउट प्लान तैयार किये जाने बाबत :-

नगरीय निकायों के स्तर पर योजनाओं का सर्वे कर खसरा मानचित्र से सुपर इम्पोज्ड ले-आउट प्लान तैयार करने हेतु तकनीकी सलाहकार/नगरीय निकाय को संबंधित राजस्व ग्राम की जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र की प्रति यदि स्थानीय निकाय में उपलब्ध ना हो तो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क नवीनतम जमाबंदी, राजस्व मानचित्र की प्रति नगरीय निकाय को उपलब्ध करवायी जावेगी जिससे नगरीय निकाय द्वारा ले-आउट प्लान तैयार करवाये जाकर संबंधित ले आउट प्लान समिति से स्वीकृत करवाये जा सकेंगे। जिन राजस्व ग्रामों में राजस्व मानचित्र उपलब्ध नहीं है अथवा राजस्व मानचित्र उपलब्ध है, परन्तु प्रमाणित नहीं है वहां सुपर इम्पोजिशन की अनिवार्यता समाप्त कर मौके की स्थिति के अनुसार अभियान के दौरान नियमन किया जा सकेगा। स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर ले-आउट तैयार करा कर योजना के नियमन हेतु सार्वजनिक नोटिस दे कर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे तथा उनका निस्तारण करते हुए ले-आउट प्लान का अनुमोदन निकाय की संबंधित समिति या मुख्य नगरपालिक अधिकारी, निकाय के वरिष्ठतम अभियन्ता, नगर नियोजन के अधिकारी, जहाँ पदस्थापित हैं, संयुक्त रूप से अनुमोदित कर सकेंगे।

(viii) पूर्व में जारी पट्टों का पंजीयन :-

जिन प्रकरणों में भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों का नियमन कर पट्टे मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके हैं किन्तु ऐसे पट्टेधारियों को नियमों की जानकारी का अभाव होने के कारण इन पट्टा विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन नहीं करवाया गया है। ऐसे पट्टों के क्रम में पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही की जाकर सामान्य आवासीय प्रीमियम दर पर अभियान के दौरान शिविरों में पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। अगर पूर्व में स्टाम्प नगरीय निकाय द्वारा पट्टा-विलेख के साथ जारी किये जा चुके हैं तो पूर्ण मुद्रांकित पट्टों को नगर निकाय द्वारा रिवेलिडेट कर पंजीयन के लिये शिविर अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे पट्टों को रिवेलिडेशन की तारीख से निष्पादित मानते हुए पंजीयन करवाया जा सकेगा। पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 31.03.2013 तक की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में रिवेलिडेशन की कार्यवाही नगर निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सचिव के स्तर पर की जायेगी।

उक्त छूट के लिये पट्टों के पंजीयन हेतु आवेदन शिविर अवधि में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ix) दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व के कैम्पों में जिन भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं हुये उनके पट्टे जारी करने की प्रक्रिया :-

दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व में कैम्प आयोजित किये गये थे किन्तु इन योजनाओं में स्थित समस्त भूखण्डों के पट्टे उक्त प्रथम कैम्प के दौरान कतिपय कारणों से जारी नहीं हो सके थे, यथा निजी

खातेदारी भूमि/सहकारी समिति की योजना की भूमि में राजकीय भूमि का स्थित होना, योजना किसी अन्य खातेदार/राजकीय भूमि पर ओवर-लेप करना, सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरार पत्र/सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं करने, दोहरे विक्रय, मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तित नहीं होने, नियमन राशि अधिक होना व न्यायालय में वाद लम्बित होना। प्रथम नियमन कैम्प में जारी पट्टे पर सामान्य नियमन दर के आधार पर नियमन शुल्क वसूल किया जाता है तथा प्रथम कैम्प के उपरान्त नियमन शुल्क पर प्रथम कैम्प की दिनांक से 15 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है। अतः अभियान के दौरान आम जनता को राहत पहुंचाने की दृष्टि से आयोजित किये जा रहे कैम्पों को प्रथम कैम्प मानते हुये केवल सामान्य प्रीमियम दर के आधार पर प्रीमियम राशि वसूल की जावेगी। दोहरे पट्टों के मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कार्यवाही होगी।

(x) अभियान के दौरान पट्टा नहीं लेने पर अतिरिक्त राशि :-

अभियान के दौरान आयोजित शिविर की अन्तिम दिनांक 31.03.2013 तक पट्टा नहीं लिये जाने की स्थिति में ऐसे समस्त भूखण्डधारियों का शिविर अवधि के पश्चात् नियमन किये जाने पर नियमन शुल्क की राशि सामान्य नियमन शुल्क से दोगुनी राशि शास्ति एवं ब्याज के साथ वसूल की जावेगी।

(xi) दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई योजनाओं के नियमन के संबंध में यदि खातेदार/सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरारनामा/सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन एवं ले आउट प्लान अनुमोदन एवं नियमन की प्रक्रिया :-

दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई योजनाओं के नियमन के संबंध में यदि खातेदार/सहकारी समिति द्वारा विक्रय पत्र/विक्रय इकरारनामा/सदस्यता सूची/ले-आउट प्लान इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उक्त योजना के नियमन की अनापत्ति सूचना का स्थानीय स्तर पर प्रकाशन उपरान्त अगर आपत्ति प्राप्त हो तो उक्त आपत्ति का निस्तारण नगरीय निकाय द्वारा स्थानीय स्तर पर संबंधित विकास समिति अथवा किसी भी भूखण्डधारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौके की वास्तविक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा तथा योजनाओं का ले-आउट प्लान एवं सदस्यता सूची निर्धारण एवं अनुमोदन कर नियमन किया जायेगा।

(xii) दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं में आपसी रजामंदी से कृषि भूमि के तकासमा का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को दिये जाने बाबत:-

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कृषि भूमि पर आवासीय योजनाओं में धारा 90 बी की कार्यवाही भूमि का तकासमा (विभाजन) नहीं होने के कारण संभव नहीं हो पायी है और भूखण्डधारियों को पट्टा एवं लीज डीड जारी करना भी संभव नहीं हो सका है। इन कृषि भूमियों के लिए अभियान अवधि के दौरान तकासमा का अधिकार 90-ए के लिए नियुक्ति किये गये प्राधिकृत अधिकारियों को दिया गया है ताकि मौके पर ही तकासमा किया जाकर 90-ए की कार्यवाही संभव हो सके एवं भूखण्डधारियों को पट्टा व लीज डीड जारी की जा सके।

2. दिनांक 17.06.1999 के पश्चात के मामलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुमति एवं पट्टा वितरण :-

(i) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए एवं इसके अधीन बने राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के नये प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति एवं ऐसी अनुमति पर पट्टे के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी प्राधिकृत अधिकारी एवं संबंधित नगर निकायों के द्वारा विहीत प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। धारा 90-ए के अन्तर्गत देय प्रीमियम की संशोधित दरें दिनांक 21.09.2012 को अधिसूचित की जा चुकी है।

ऐसे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में जहाँ मौका निरीक्षण आवश्यक है वहाँ संबंधित अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण भी अभियान के दौरान एवं अभियान पूर्व किया जायेगा। शिविरों में भी प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

दिनांक 17.06.1999 के पश्चात के मामलों में जहाँ दिनांक 27.05.2011 से पूर्व धारा 90-बी (3) के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय होकर आदेश पारित हो चुके हैं वहाँ धारा 90-ए की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ii) दिनांक 17.06.99 के बाद की योजनाएँ जिनमें 90 बी का निर्णय जारी हो चुका है उनके पट्टे जारी करने बाबत :- दिनांक 17.06.99 के बाद की योजनाएँ जिनमें 90 बी (3) की प्रक्रिया दिनांक 27.05.2011 से पूर्व पूर्ण हो चुकी है, उन योजनाओं के अनुमोदित प्लान के तहत किसी भी क्षेत्रफल के पट्टे अभियान के दौरान नगरीय निकाय स्तर पर दिये जायेंगे। प्रचलित आदेशों के अनुसार जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरणों में आवासीय भूखण्डों एवं गैर आवासीय भूखण्डों में क्रमशः 10,000 वर्गमीटर तथा 4,000 वर्गमीटर से अधिक और अन्य नगर निकायों में आवासीय भूखण्डों एवं गैर आवासीय भूखण्डों में क्रमशः 5,000 वर्गमीटर तथा 2,500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ली जाने के निदेश जारी किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10000 वर्गमीटर से अधिक औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व भी राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

अब इनमें शिथिलन देते हुए अभियान के दौरान राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही नगरीय निकाय स्तर पर किसी भी क्षेत्रफल तक के भूखण्ड का पट्टा जारी करने की शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं।

3. अभियान के दौरान पट्टवारी/गिरदावर की स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति:-

अभियान के लिए स्थानीय निकाय से सम्बन्धित पट्टवार सर्किल के पट्टवारी एवं गिरदावर की स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति मानी जावेगी जिससे एकाग्र होकर नगरीय निकाय का कार्य सम्पादित कर सके। अभियान अवधि में राजस्व कार्य अतिरिक्त रूप से सम्पादन की कार्यवाही उनके द्वारा की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति काल में इनको स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्त्रोत से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जो राजस्थान सेवा

नियम 1951 के नियम 35 में दौहरे कार्य के लिये निर्धारित विशेष वेतन दरों के अनुसार स्वीकृत है। पटवारी राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे की प्रति उपलब्ध कराने एवं अन्य तत्सदीक सम्बन्धी कार्य नगरीय निकाय के चाहे जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करवायेगें। प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेगें।

राजस्व संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए अभियान के दौरान नायब तहसीलदार को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदान की जा रही है।

4. मंडल की शक्तियाँ प्रत्यायोजन बाबत:-

विभिन्न प्रकरणों जैसे भू-उपयोग परिवर्तन, मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी का आवंटन, पट्टे जारी करने आदि के लिए अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 71, 73, 118, 131, 182, 189, 194, 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299, 306 की शक्तियाँ एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती है। इसी प्रकार राजस्थान नगर पालिका (सामान क्रय एवं संविदा) नियम 1974 में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपरोक्त वर्णित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा किया जायेगा।

अभियान के दौरान कार्य निष्पादन हेतु नगरीय निकायों एवं न्यासों के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(क) नगर निगम/परिषद एवं पालिकाओं हेतु :-

- | | |
|---|--------------|
| i. निकाय के मेयर/सभापति/अध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| ii. मुख्य नगरपालिक अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| iii. निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियंता | - सदस्य |
| iv. वरिष्ठ/उप/सहायक नगर नियोजक (जैसी स्थिति हो) | - सदस्य |

(ख) नगर सुधार न्यास हेतु -

- | | |
|--|--------------|
| i- संबंधित न्यास व जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| ii. सचिव/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण | - सदस्य |
| iii. संबंधित न्यास का वरिष्ठतम अभियंता | - सदस्य |
| iv. संबंधित न्यास का तहसीलदार | - सदस्य |
| v. संबंधित न्यास का वरिष्ठतम नगर नियोजक | - सदस्य सचिव |

उपरोक्त समितियों का कार्यकाल अधिकतम 31.3.2013 तक ही रहेगा।

नोट :- नगरीय निकायों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर किये जायेगें। किसी कारणवश उपरोक्त एम्पावर्ड समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जाता है तो उस स्थिति में नगर पालिका संस्थाओं में मुख्य नगरपालिक अधिकारी, न्यास में सचिव एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त

इस समिति की अध्यक्षता करेंगे एवं नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

5. मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियों का स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजन :-

- (i) भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में अनापत्ति सूचना के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु निर्धारित 15 दिवस की अवधि को अभियान के दौरान 7 दिवस किया जाता है।
- (ii) कच्ची बस्तियों के नियमान्तर्गत नियमन के लिए यदि मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय से भिन्न है तो भू-उपयोग परिवर्तन के पूर्ण अधिकार स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को अभियान के दौरान प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमियों पर बसी आवासीय योजनाओं के प्रकरणों में भी भू-उपयोग परिवर्तन हेतु स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को अभियान के दौरान अधिकृत किया जाता है।
- (iii) भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश सक्षम कमेटी/अधिकारी द्वारा जारी होने की तिथि से ही भू-उपयोग परिवर्तित माना जायेगा, जिसके आधार पर ले आउट प्लान स्वीकृति एवं पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रति निदेशक केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को आदेश पारित करने की दिनांक को ही पत्र, फैंक्स व ऑनलाईन सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जावेगी। मुद्रणालय द्वारा उक्त अधिसूचना का प्रकाशन प्राथमिकता से 7 दिवस में करवाया जाना अनिवार्य होगा।

6. स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी किये जाने बाबत:-

- (i) राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट ग्रांट एक्ट, 1961 के तहत नजूल लैण्ड/सभी प्रकार की भूमियाँ जैसा कि सिवाय चक/कस्टोडियन भूमि आदि पर कच्चा/पक्का निर्माण बाबत सामान्य व्यक्ति के लिए 01.01.1965 से पूर्व तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कब्जा 01.01.1985 से पूर्व का प्रमाणित होने की स्थिति में 300 वर्गमीटर के भूखण्ड का पट्टा राशि 1/- रुपये पर दिये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रतिबंधित भू-भाग का नियमन नहीं किया जायेगा जैसा कि पूर्व में निर्धारित है कि वक्फ, देवस्थान, वन एवं वह क्षेत्र जो जन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है का नियमन नहीं किया जायेगा। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ही पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- (ii) कच्ची बस्ती नियमन के प्रावधान:-राज्य में कच्ची बस्ती नियमन के अंतर्गत वर्तमान में 2004 तक के सर्वेधारियों के नियमन के प्रावधान है। एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) व शहरी निर्धन को आधारभूत सेवायें कार्यक्रम (BSUP)

के अंतर्गत 15 अगस्त, 2009 तक कच्ची बस्ती में निवास करने वाले व्यक्तियों का 110 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल तक के पट्टे निर्धारित दरों पर दिये जायेंगे।

वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उच्चतर सरकारी कर्मचारियों को कच्ची बस्ती में भूमि नियमन करने पर प्रतिबंध है। मंत्रालयिक स्तर तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनके पास उसी शहर में अन्य कोई भूखण्ड नहीं है, को कच्ची बस्ती भूमि नियमन करने के लिए अनुमति दी जाती है।

7 भू-पट्टी (खांचा भूमि) आवंटन के संबंध में :-

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत किसी भी भूखण्ड से लगती हुई भूपट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 100 वर्गगज हो का आवंटन आरक्षित दर की दोगुनी दर से किये जाने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरण जिनमें भूपट्टी का क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक है उनका आवंटन स्थानीय निकाय स्तर पर संभव नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों को उससे होने वाली आय से वंचित रहना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से निम्नांकित शिथिलताएं प्रदान की गयी हैं :-

- (i) भू-पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के क्षेत्रफल को 100 वर्गगज के स्थान पर क्षेत्रफल 150 वर्गगज तक बढ़ाया जाता है।
- (ii) आवंटन की शक्तियाँ नगरीय निकाय स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित दी जाती हैं।
- (iii) 100 वर्गगज तक की भू-पट्टी नियमानुसार आरक्षित दर की दोगुनी तथा उससे अधिक क्षेत्रफल आरक्षित दर की दोगुनी अथवा डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो पर आवंटित की जा सकती है।
- (iv) ऐसी भू-पट्टी जिस पर भवन निर्मित हो गया है और वह खांचा भूमि की परिभाषा में आती है तो उसका भी नियमन उपरोक्तानुसार किया जा सकेगा। भू-पट्टी आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खांचा भूमि को किसी प्रकार से स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में सृजित किया जाना संभव नहीं है।
- (v) खांचा भूमि का आवंटन केवल एक बारीय (One-time) ही होगा। यदि पूर्व में आवंटन कर दिया गया है तो दुबारा आवंटन कराने की पात्रता नहीं होगी।

8. भूखण्डों के बड़े हुए क्षेत्रफल के नियमन / आवंटन के सम्बन्ध में

अनेक योजनाओं में आवंटित/विक्रय किये गये भूखण्डों का वास्तविक क्षेत्रफल योजना मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डों की नाप से मौके पर अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण योजना बनाते समय किये गये सर्वे तथा डिमाकेशन में भिन्नता होना है। ऐसे बड़े हुए क्षेत्रफल पर कोई पृथक पहुँच मार्ग भी उपलब्ध ना होने के कारण इसका पृथक भूखण्ड के रूप में निष्पादन किया जाना संभव नहीं होता है। आवंटित किये हुये भूखण्डों में इस प्रकार बड़े हुए क्षेत्रफल का वर्तमान में प्रचलित आरक्षित दर पर तथा नीलामी में

कय किये गये भूखण्डों के बड़े हुये क्षेत्रफल की नीलामी दर मय ब्याज राशि जमा कराने पर नियमन/आवंटन किया जायेगा।

9. भवन मानचित्र अनुमोदन

- (i) वर्तमान में भवन मानचित्र अनुमोदन नगरीय निकायो में गठित भवन मानचित्र समिति द्वारा किये जाते हैं परन्तु नगरीय निकायों में भवन मानचित्र समितियों की नियमित बैठक नहीं होने के कारण भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरणों का निस्तारण में विलम्ब होता है। अभियान अवधि में मानचित्र अनुमोदन को गति प्रदान करने हेतु नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अन्तर्गत एम्पावर्ड कमेटी के निर्णयाधीन रहते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय तथा 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के गैर आवासीय भवन मानचित्रों का अनुमोदन एवं स्वीकृति भवन मानचित्र समिति के स्थान पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी, न्यास सचिव या जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक नगर नियोजन, जैसी भी स्थिति हो, को अधिकृत किया जाता है।
- (iii) भवन निर्माण के संबंध में मानचित्र अनुमोदन व भवन निर्माण जांच शुल्क की राशि प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

10. दिनांक 31.12.2000 से पूर्व 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर बने हुये आवासों के सैट बैक नियमन के संबंध में :-

वर्तमान में प्रचलित भवन विनियम/संबंधित भवन निर्माण उपविधि में 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में अग्र सैटबैक 1.5 मीटर रखा गया है, परन्तु पूर्व में इस श्रेणी के भूखण्डों में अग्र सैटबैक 5 फिट तथा पीछे का सैटबैक 5 फिट प्रस्तावित थे। इतने छोटे भूखण्ड होने के कारण आवंटियों ने सैटबैक में निर्माण कर लिये हैं, ऐसे निर्माणों को नियमित किये जाकर लीजडीड जारी करने अथवा नाम हस्तान्तरण करना संभव नहीं हो पाता है। अतः अभियान के दौरान 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर हुये निर्माणों को निर्धारित/लागू दरों पर नियमित कर लीजडीड जारी करने हेतु सैटबैक में किये गये निर्माण को नियमित करने के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है।

11. पट्टे के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क बाबत -

वर्तमान में पट्टा विलेख निष्पादन की दो माह की अवधि में पट्टा विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर मुद्रांक शुल्क प्रयोजनार्थ प्रतिफल राशि की गणना में छूट का प्रावधान दिया गया है। इस अवधि के पश्चात् पंजीयन हेतु प्रस्तुत पट्टा विलेखों के संबंध में मुद्रांक शुल्क में दो से चार माह की अवधि के लिए 25 प्रतिशत तथा चार माह से आठ माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिफल में सम्मिलित कर गणना की जाती है। आठ माह के पश्चात् सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क देय है।

उक्त प्रावधानों में शिथिलता देते हुये यह प्रावधान किया गया है कि पट्टा विलेख निष्पादन हेतु अभियान के दौरान अवधि पार (time barred) दस्तावेजों को नगर निकाय द्वारा Revalidate कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर नियमन राशि पर ही मुद्रांक शुल्क देय होगा। यह छूट जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल तथा समस्त स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित पट्टों पर दिनांक 31.03.2013 तक ही लागू होगी। यह छूट केवल उसी स्थिति में देय होगी जब इस निमित्त प्रार्थना पत्र शिविर अवधि तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया जावे।

12 लीज राशि व नगरीय विकास कर पर ब्याज की छूट—

- (i) वर्ष 2012-13 के बजट में बकाया लीज राशि के ब्याज में लीज की बकाया राशि जमा कराने पर 50 प्रतिशत एवं बकाया के साथ-साथ आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा की जा चुकी है। उक्त घोषणा के तहत दिनांक 30.06.2012 तक आवेदन करना था तथा 30.09.2012 तक लीज राशि जमा करायी जानी थी।
- (ii) अभियान के दौरान भी यदि लीज/नगरीय विकास कर की वर्तमान बकाया राशि के साथ-साथ आगामी वर्षों की देय लीज राशि एकमुश्त जमा करायी जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- (iii) इसी प्रकार यदि लीज की वर्तमान वर्ष की देय बकाया राशि ही जमा करायी जाती है एवं आगामी वर्षों की अग्रिम राशि जमा नहीं करायी जाती है तो देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (iv) लीज राशि/नगरीय विकास कर की उक्त छूट उन प्रकरणों पर देय होगी जिनमें शिविर अवधि समाप्त होने से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया जावे एवं 31.03.2013 तक लीज राशि/नगरीय विकास कर जमा करा दी जावे।

13. सिवायचक भूमि का स्थानीय निकायों को आवंटन —

- (i) स्थानीय निकायों को नगर निकाय की नगरीयकरण सीमा में स्थित सिवायचक भूमि का आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। अभियान अवधि में आवंटित भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण कर शहर की आवश्यकता के अनुरूप कन्सलटेन्ट के माध्यम से योजना तैयार करायी जायेगी एवं भूखण्ड आवंटन/नीलामी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही अभियान के दौरान प्रारम्भ की जायेगी।
- (ii) नगरीयकरण सीमा में स्थित चरागाह भूमि एवं कस्टोडियम भूमि भी आवासीय/सार्वजनिक/लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ नगरीय निकायों को हस्तान्तरित की जा सकेगी।
- (iii) राजकीय एवं कस्टोडियम भूमि को नगरीय निकायों को हस्तान्तरण के लिये मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला कलेक्टरों एवं सम्भागीय आयुक्तगणों को निर्देशित किया जा चुका है। अतः स्थानीय निकाय के अधिकारी इस विषय में संबंधित जिला कलेक्टरों से तुरन्त सम्पर्क कर भूमियां हस्तान्तरण सम्पन्न कराये। भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना, अफोर्डेबल आवास योजना एवं अन्य योजनाओं को विकसित करने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

- (iv) यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जो भी भूमियां नगर निकाय को हस्तान्तरित होती है उसकी पूर्ण सुरक्षा नगरीय निकाय द्वारा की जावे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देवे।

14. राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 (राजा-महाराजाओं की भूमि), राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976, बेरी आयोग, दवे आयोग तथा कस्टोडियन भूमि से प्रभावित योजनाओं में नियमन -

- (i) राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 दिनांक 09.03.2000 के अध्वधीन राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 (राजा-महाराजाओं की भूमि), राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 तथा बेरी आयोग से प्रभावित योजनाएँ जहाँ आबादी विकसित हो चुकी है और जिस पर कोर्ट स्टे नहीं है, के संबंध में नियमन की कार्यवाही, भूमि को राजकीय (सिवायचक) भूमि मानते हुए किये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त आदेश के अधीन इन भूमियों से प्रभावित योजनाओं के नियमन की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(50) नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 द्वारा सिवायचक भूमियों के नियमन के लिए निर्धारित दरों के आधार पर नियमन राशि वसूल की जावेगी। उक्त दरें इस परिपत्र के पैरा संख्या 1(v) पर तालिका में भी वर्णित है।
- (ii) इन भूमियों से संबंधित अपील आदि यदि न्यायालयों में लम्बित हैं तो उनको वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी। यदि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा अपील की गई हैं तो राज्य सरकार/नगरीय निकायों की ओर से प्रकरणों को वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और यदि काश्तकार/भूस्वामी द्वारा अपील दायर की गई हैं तो उनके द्वारा प्रकरणों को वापस लिए जाने की अण्डरटेकिंग का शपथ पत्र दिये जाने पर ही इन भूमियों पर विकसित हुई आवासीय योजनाओं का नियमन किया जावेगा।
- (iii) इसके साथ ही दवे आयोग की रिपोर्ट में उल्लेखित योजनाओं तथा कस्टोडियन भूमि से प्रभावित योजनाओं का नियमन भी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 09.03.2000 के प्रावधानानुसार राजकीय भूमि (सिवायचक) की श्रेणी में मानकर दिनांक 21.09.12 के आदेश में वर्णित दरों (देखे इस परिपत्र के पैरा सं. 1(v) में वर्णित तालिका)के आधार पर नियमन/प्रीमियम राशि वसूल की जाकर किया जायेगा।
- (iv) जयपुर के संदर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूची नगर निगम जयपुर बनाम लेखराज सोनी से सम्बन्धित विशेष अनुमति याचिका के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गयी एम्पावर्ड समिति के समक्ष रखे जाकर अनुमति प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(V) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं एवं स्थगन आदेश प्रभावी हैं, उनके प्रकरण/स्थगन न्यायालय से विद्रा होने के उपरान्त ही नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

15. राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग व अन्य विभागों की भूमियों पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमितिकरण:-

कई स्थानों पर आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि पर अतिक्रमण कर, आवास निर्मित कर लिये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचाई विभाग की भूमियों पर भी आवासों का निर्माण किया जा चुका है। उक्त विभागों द्वारा कब्जे में ली जा चुकी भूमि जिस पर संबंधित विभाग द्वारा कब्जा लिया जाकर भूमि उपयोग में लायी जा चुकी है, को छोड़कर, शेष भूमि अवाप्ति से मुक्त मानी जाकर उन पर बसी कॉलोनियों का नियमन निम्नांकित शर्तों के पूर्ण होने पर किया जा सकेगा :-

- (i) नियमन की दरें नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 के अनुसार वसूल की जायेगी।
- (ii) 500 वर्गगज तक भूखण्ड का नियमन किया जा सकेगा।
- (iii) नियमन केवल वहीं किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित विभाग का कब्जा नहीं है, अवाप्तशुदा भूमि पर कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र पर आवासीय बसावट हो चुकी हो और नियमित किए जाने वाले भूखण्ड पर भूखण्डधारी का कब्जा दिनांक 15-08-2009 तक का प्रमाणित हो।
- (iv) नियमन हेतु सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से ये विभाग उक्त भूमि पर अपनी कोई योजना अब क्रियान्वित नहीं कर सकते, मौके पर आवासीय कॉलोनियों विकसित की जा चुकी है तथा विकासकर्ता द्वारा प्लानिंग काटी जा चुकी है, जिसका अवाप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि संभव नहीं है एवं आवासों का निर्माण हो चुका है।

16 नगरीय निकायों में निहित भूमि पर दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज तक अनाधिकृत आवासीय निर्माण के नियमन :-

- (i) नगरीय निकायों में निहित भूमि पर दिनांक 31.12.91 तक 300 वर्गगज तक अनाधिकृत आवासीय निर्माण के नियमन हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.1 (ग) नियम/डीएलबी/2001/1 दिनांक 01.01.2002 में अतिक्रमण के नियमन हेतु निर्धारित कट ऑफ डेट को 15 अगस्त, 2009 तक बढ़ायी जाती है।
अतः दिनांक 01.01.1991 व 15.08.2009 के मध्य के प्रकरण इस परिपत्र के अंतर्गत नियमित किये जा सकेंगे।
- (ii) उक्त नियमन सिवायचक/राजकीय भूमि के नियमन के लिए नगरीय विकास विभाग के उपर वर्णित आदेश दिनांक 21.09.2012 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जायेगा (देखे इस परिपत्र के पैरा सं. 1(v) में वर्णित तालिका)।
- (iii) जयपुर के सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर नगर निगम जयपुर द्वारा नगर निगम, जयपुर बनाम लेखराज सौनी से संबंधित विशेष अनुमति याचिका के तहत

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखे जाकर अनुमति प्राप्त करके ही प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) उक्त नियमन केवल गैर-योजना (नोन-स्कीम) क्षेत्र में ही हो सकेगा।

17. न्यायालयों के निर्णय से प्रभावित भूमि का नियमन/भू-उपयोग परिवर्तन निषेध -

अभियान के दौरान ऐसी योजनाएँ जिन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित सोसायटी अथवा खातेदार के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है एवं उस संबंधित योजना में 25 प्रतिशत से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है, एवं प्रकरण वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एरापपी के तहत वर्षों से लम्बित है, से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उप मंत्रीमण्डलीय कमेटी को अधिकृत किया गया है। अतः ऐसे प्रकरण यदि कोई है तो नगर निकाय द्वारा राज्य सरकार को संदर्भित किये जायेंगे ताकि इन्हें मंत्रीमण्डलीय कमेटी के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जा सकें।

सुविधा क्षेत्र के भूखण्डों का नियमन पर डा.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13084/2009 में पारित निर्णय के अनुसार निषेधाज्ञा जारी की गई है, तथा याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के अनुसार नदी, नाले, तालाब, नहर, झील, कैचमेन्ट एरिया आदि में नियमन निषेध किया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों का नियमन निषेध रहेगा।

18. डेडीकेटेड कन्सलटेंट्स/सेवा निवृत्त कार्मिकों की अभियान कार्यों के संबंध में नियुक्ति:-

अभियान की सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेंट्स की नियुक्ति की गयी है और इन्हीं के माध्यम से स्थानीय निकायों में नगर नियोजकों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्त नगर नियोजकों की सेवाएँ भी संविदा के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। इनके माध्यम से भवन मानचित्र अनुमोदन, योजनाओं के ले-आउट प्लान, साईट प्लान, उपविभाजन/पुर्नगठन के प्रकरणों के निस्तारण किया जा रहा है। अभी भी नगर नियोजकों की कमी को देखते हुए अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों की पूर्व तैयारी हेतु सेवानिवृत्त नगर नियोजकों की सेवाएँ कन्सलटेंट के रूप में सीमित अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तृत कार्य विवरण अंकित करने पर लेने हेतु नियमों में शिथिलन प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य संवर्गों में भी स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्मिकों की उपलब्धता कम है। अतः कार्यों के समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु सेवा निवृत्त कार्मिकों की कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 31.10.1995 एवं इसके क्रम में ज्ञापन दिनांक 08.07.2011 के द्वारा निर्धारित दरों पर संविदा सेवाएँ अधिकतम एक वर्ष तक लिये जाने की छूट प्रदान कर दी गई है। यदि सेवा निवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन पदों के विरुद्ध भी जॉब बेसिस आधार पर सलाहकारी सेवाएँ विस्तृत कार्य विवरण के आधार पर ली जा सकती हैं।

19. किराये पर दिये गये भूखण्ड/स्थल/दुकानों के संबंध में :-

नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा किराये/ग्राउण्ड रेन्ट पर दिये गये विभिन्न व्यवसायों के लिए भूखण्ड/स्थल/दुकानों के संबंध में नियमन हेतु स्वायत्त शासन

विभाग के आदेश क्रमांक प. 8(ग)()नियम/स्वा.शा./2000/9453 दिनांक 24.12.2001 (प्रति संलग्न हैं) के अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्णय लिये जाने का अधिकार होगा। राज्य सरकार की अधिकारिता वाले प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर विनिश्चय नहीं किया जायेगा वरन् ऐसे प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

20. पुनर्समीक्षा की अधिकारिता:-

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में रिव्यू की शक्तियाँ नहीं हैं। अभियान अवधि में राहत प्रदान करने की दृष्टि से यह शक्तियाँ स्थानीय निकायों को प्रदान की गयी हैं। इस संबंध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

21. ग्राम पंचायतों को पट्टा देने की अधिकारिता:-

- (i) न्यास/प्राधिकरण व नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र, जैसा कि राजस्व नक्शे में दर्शाया हुआ है, से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवाय चक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पट्टे दिये जाने की अधिकारिता दी जाती है।
- (ii) उक्त प्रयोजनार्थ पंचायतों को जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) नगरीयकरण सीमा/परिधीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित की गयी सीमा के भीतर भूमि का आवंटन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा सकेगा। नगरीय निकायों को ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित की गयी भूमि पर आवंटन का अधिकार नहीं होगा।

22. नजूल सम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हिकरण :-

शहरी क्षेत्रों में विशेष कर घनी आबादी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधा के कार्यों यथा ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने, पुलिस चौकी स्थापित करने, अस्पताल आदि के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित नजूल सम्पत्तियों जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हैं, उन सम्पत्तियों को जिला कलेक्टर द्वारा विभागों/नगर निकायों को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा। नगर निकायों को प्राप्त होने वाली नजूल सम्पत्तियों का उपयोग नगर निकायों के द्वारा गैर-व्यावसायिक सार्वजनिक सुविधाओं यथा-पार्किंग, ग्रिड सब-स्टेशन, अस्पताल, पुलिस चौकी के लिए ही किया जायेगा। इसके सम्पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित

कमेटी को होगा। जो सम्पतियों किसी राजकीय विभाग के काम आ रही है उनको संबंधित विभाग को निःशुल्क आवंटित किया जायेगा।

अतः इस विषय में नगर निकायों के स्तर पर कार्यवाही के प्रस्ताव तुरन्त जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जावे।

23. उपरोक्त वर्णित शिथिलताओं के अतिरिक्त अभियान के दौरान आने वाले बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति को अधिकृत करने बाबत :-

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के दृष्टिकोण से उपरोक्त वर्णित नियमों, उपनियमों एवं प्रावधानों में शिथिलताएँ दी गई हैं। इन प्रकरणों के अलावा अभियान के पूर्व या अभियान के दौरान व्यवहारिक कठिनाई एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ और बिन्दु भी आ सकते हैं, जिनका निराकरण तत्काल करना आवश्यक होगा। अतः उक्त स्थिति में जिन प्रकरणों में विभाग निर्णय लेने में सक्षम है उनमें विभाग द्वारा निर्णय लेकर निराकरण किया जायेगा। विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर के प्रकरण जिनमें अन्य विभागों से सम्बन्धित मुद्दे भी सम्मिलित होंगे, में निर्णय लेने हेतु विभाग के लिए माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के संयोजकत्व में गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति को अधिकृत किया गया है ताकि सामयिक निर्णय लिये जाकर समस्या का समाधान किया जाना संभव हो सकेगा। अन्य विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में एम्पावर्ड समिति द्वारा निर्णय कराये जाने के समय सम्बन्धित विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी समिति के समक्ष बुलाया जायेगा।

अतः ऐसे प्रकरण/बिन्दु सामने आने पर राज्य सरकार को संदर्भित किये जावे।

24. अभियान के दौरान नगर निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध में शिथिलता:-

विभिन्न नगर निकायों में स्टाफ/अधिकारियों की कमी रहती है और अभियान के दौरान, अभियान से पूर्व तैयारी के लिए तथा अभियान के फोलोअप के लिए विभिन्न कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए स्टाफ/कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में एक दूसरे नगर निकायों में भेजने की दृष्टि से नगर निकायों के स्टाफ/अधिकारियों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय में स्थानान्तरित करने के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से शिथिलता रहेगी।

25. समस्त नगरीय निकायों से सम्बन्धित शिविरों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं अभियान का संचालन :-

- (i) अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में विभागों द्वारा प्रतिदिन सम्पादित किये गये कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करने एवं संकलित सूचनाएँ तैयार करने हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष में प्रभारी अधिकारी एवं उनके सहयोग के लिए समुचित कार्मिकों की नियुक्ति निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। नियंत्रण कक्ष में अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले संदर्भों का त्वरित निस्तारण निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उप शासन सचिव (द्वितीय) नगरीय विकास विभाग के सहयोग से कराया जायेगा।

- (ii) जिलों में "प्रशासन शहरों के संग" अभियान को जिला कलेक्टर द्वारा समन्वय (Cordinate) किया जायेगा। अभियान के सफल संचालन एवं समस्त व्यवस्थाओं के लिए समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की रहेगी। जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर आदि द्वारा शिविरों के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। जिला कलेक्टर अभियान आरम्भ होने से पूर्व ही स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशकों एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित करायेगे। इस विषय में इस विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (54) नं.वि/3/2011 दिनांक 03.10.2012 के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जा चुका है। जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है।
- (iii) नगर पालिका मण्डलों में प्रत्येक शिविर के लिए उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर अथवा इनके नहीं होने की स्थिति में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारी को शिविर प्रभारी नियुक्त करने की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। अभियान अवधि में स्थानीय निकाय में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो कलेक्टर द्वारा जिले में कार्यरत किसी अन्य अधिकारी को तत्काल उसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाकर कार्य को नियमित रूप से चालू रखा जावेगा।
- (iv) सम्भागीय आयुक्तों द्वारा अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा एवं उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान कर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) कैम्पों में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कैम्प अवधि में ना होने पर रिपीट कैम्प आयोजित किये जावेंगे तथा लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।

26. शिविरों स्थलों का निर्धारण एवं अभियान की प्रगति रिपोर्ट:-

- (i) नगरीय निकाय अपने स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर शिविरस्थलों का निर्धारण करेंगे तथा दिनांक 25.10.2012 तक निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को कार्यक्रम की एक प्रति आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। आगामी अभियान में नगर निकायों द्वारा केवल अपने कार्यों के लिए अपने पृथक शिविर आयोजित किये जायेंगे। जहाँ पर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका तथा जविप्रा/जोविप्रा/नगर सुधार न्यास दोनों हैं वहाँ पर यथा सम्भव संयुक्त रूप से एक ही शिविर में दोनों संस्थाओं के अधिकारी/कार्मिक अपना-अपना कार्य सम्पादित कर सकेंगे। राजस्थान आवासन मण्डल के स्थानीय अधिकारी भी यथासम्भव नगर निकाय के शिविर में ही कार्य सम्पादित करेंगे।
- (ii) अन्य विभाग भी इस अभियान के दौरान कार्य सम्पादन करेंगे, लेकिन वे अपना कार्य अपने विभागीय कार्यालय में अथवा सुविधानुसार अन्य किसी स्थल पर शिविर आयोजित करेंगे। अन्य विभाग अपने कार्यक्रम व शिविर स्थलों की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को उपलब्ध करायेंगे। अन्य विभागों के स्थानीय कार्यालय उनसे संबंधित कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे और

जिला कलेक्टर द्वारा जिले की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर निदेशक स्थानीय निकाय को प्रत्येक सोमवार को मध्याह्न पूर्व फैंक्स 0141.2222403 तथा ई-मेल dlbrajasthan@gmail.com के जरिये आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।

(iii) जिले के समस्त नगर निकाय जिला कलेक्टर एवं निदेशक स्थानीय निकाय को साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहान्त में प्रेषित करेंगे लेकिन यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक सोमवार को मध्याह्न पूर्व नगर निकायों का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में निदेशक स्थानीय निकाय को फैंक्स तथा ई-मेल के जरिये आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाये।

(iv) अभियान के लिये जिला कलेक्टर के कार्यालय में एवं प्रत्येक नगरीय निकाय के कार्यालय में दिनांक 20.11.2011 से दिनांक 31.12.2012 तक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे व उनके टेलीफोन नम्बर, फैंक्स नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस मय प्रभारी अधिकारी के नाम निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

27. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1(vi), 1(viii), 1(ix), 1(x). एवं 11 पर वर्णित शिथिलता के लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे।

28. विशेष :-

(i) इस परिपत्र में वर्णित शिथिलताएँ केवल अभियान के लिये है और उन्हीं प्रकरणों के लिये लागू रहेगीं जिनके लिये आवेदन अभियान की शिविर अवधि तक अर्थात् दिनांक 25.12.2012 तक प्राप्त हो चुके है।

(ii) यह भी ध्यान रखा जावे कि कार्यों के निष्पादन के लिये दी गई शिथिलताओं के अतिरिक्त शेष माप-दण्ड एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।

(iii) यह भी ध्यान रखा जावे कि जिन भूमियों के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से निर्देश दिये हुए हैं या उनके द्वारा स्थगन आदेश दिये हुए हैं वहाँ न्यायालय के निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जावे तथा ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त दी गई शिथिलताएँ प्रभावशील नहीं होगीं।

अतः उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ कर अवगत कराया जावे। प्रत्येक स्थानीय निकाय में स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं प्रभारी अधिकारी की सूचना निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को दिनांक 31.10.2012 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,

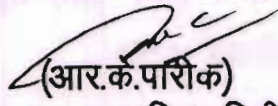


(जी.एस.संधु.)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण (समस्त) (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग को छोड़ कर)
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
7. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उद्योग/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव.....
10. निजी सचिव, शासन सचिव,, जयपुर।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाये एवं राज्य सरकार को तदनुसार अवगत भी करावे।
13. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
15. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
16. रक्षित पत्रावली।


(आर.क.परीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय

परिशिष्ट-1

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान किये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यों की सूची :-

1. कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, भू-रूपान्तरण और पट्टे जारी करना
2. कृषि/गैर कृषि भूमियों का मास्टर प्लान के अनुरूप भू-रूपान्तरण एवं पट्टा जारी करना।
3. विभिन्न विभागों यथा राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा अवाप्त शुदा भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितिकरण।
4. अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखण्डों के पट्टे जारी करना
5. बकाया लीज जमा कराना एवं एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना
6. स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना
7. खांचा भूमि का आवंटन
8. कच्ची बस्ती के नियमन हेतु कार्यवाही
9. भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण
10. भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करना।
11. भवनों के पुनर्गठन व उप-विभाजन का कार्य सम्पादित करना।
12. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु जागरूकता पैदा करना।

अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य (प्रत्येक विभाग अपने कार्यालय में पृथक शिविर का आयोजन करेगे):-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :- वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन।

2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधी कार्य :- शिविरों में चिकित्सक नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे एवं चिकित्सकों द्वारा प्रारम्भिक जांच उपरान्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।
3. जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य:- पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पड़े सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक करवाना।
4. उर्जा विभाग से संबंधित कार्य :- लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के उपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिंग है, तो उन्हें जारी करना।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :- (i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना।
(ii) नगर निकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियों, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना।
6. राजस्व विभाग :- नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण किया जाना, राजकीय नजूल भवनों का चिन्हीकरण कर उसके उपयोग का निर्धारण व उन्हें संबंधित को आवंटन की कार्यवाही करना, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाना।
7. महिला एवं बाल विकास विभाग :- महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार।